रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062020-220128
CG-DL-E-24062020-220128

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2020/ आषाढ़ 2, 1942
No. 232] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2020/ ASADHA 2, 1942

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2020

सं .124

सं. 1(5)/2016.—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37वां) की धारा-45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथाः-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा आरंभः

(i) ये विनियम, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) (पहला संशोधन) विनियम, 2020 कहलाएँगे ।

(ii) ये सरकारी गजट में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषाः इस विनियम में शब्दों की परिभाषा और उनका अर्थ तथा पदों के पदनाम का अर्थ वही होगा जैसाकि खाद्य निगम अधिनियम,1964 तथा भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में दिया गया है।

3. भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम 1971,में निम्नलिखित संशोधन किए जाने हैं ।

3.1 निम्नलिखित टिप्पणी को भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम 1971,के परिशिष्ट इंजीनियरिंग संवर्ग के भाग–IX में इलैक्ट्रीकल मैकेनिकल विंग के कॉलम सं. 10 के क्र. सं. 3 (प्रबंधक (ईएम) में जोड़ा जाए –

" प्रबंधन प्रशिक्षुओं की संख्या आवश्यकता के आधार पर प्रबंध निदेशक द्वारा प्रत्येक अवसर पर निर्धारित की जानी है।"

3.2 निम्नलिखित संशोधन भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम 1971, के परिशिष्ट के भाग **– VIII –** विधि संवर्ग में सहायक महाप्रबंधक (विधि) के पद के कॉलम 7 की टिप्पणी 2 में शामिल किया जाएगा –

" अधिवक्ता के रूप में वकील का अनुभव, अधिवक्ता के तौर पर नामांकन प्रमाणपत्र, उम्मीदवार द्वारा दायर वकालतनामे की प्रमाणित प्रतियों सहित साक्ष्य होगा, अथवा कारण सूची की स्व- प्रमाणित प्रतियों अथवा न्यायालय के आदेशों/निर्णयों की स्व- प्रमाणित प्रतियों अथवा संबंधित न्यायालय की वेबसाइटों से प्राप्त केस की स्थिति की स्व- प्रमाणित प्रतियों सहित, अर्हता अनुभव के प्रत्येक वर्ष में कम से कम 3 मामलों के संबंध में अपने मुवक्किल के लिए अधिवक्ता के तौर पर पेश होने के प्रमाण के रूप में आवेदन प्रपत्र में उम्मीदवार के नाम को दर्शाते हुए संबंधित न्यायालय से सत्यापित हो।"

सीमा कक्कड़, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./89/2020-21]

टिप्पणी मुख्य विनियम भारत :के राजपत्र में दिनांक 08.05.1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे तथा तदनुरूप अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किये गए।

क .सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	भा॰ खा॰ नि॰, (कर्मचारीवृन्द) (पहला संशोधन) विनियम, 2019	07.05.2019
2.	भा॰ खा॰ नि॰, (कर्मचारीवृन्द) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019	03.09.2019
3.	भा॰ खा॰ नि॰, (कर्मचारीवृन्द) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019	06.01.2020

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2020

No. 124

No.1(5)/2016.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely:-

1. Short Title and Commencement:

(i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (First Amendment) Regulations, 2020.

(ii) These shall come into force from the date of Notification in the Official Gazette.

2. Definitions: The definition and meaning of the words and designation of posts in this Regulations shall have the same meaning as contained in the Food Corporations Act, 1964 and the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971.

3. The following amendments are to be made in FCI (Staff) Regulations, 1971.

3.1 The following note will be inserted in Col. No.10 of S.No. 3 [Manager(EM)] in Electrical Mechanical Wing in Part-IX, Engineering Cadre of Appendix-I of FCI (Staff) Regulations, 1971 –

"The number of Management Trainees to be determined on each occasion by the Managing Director depending on the requirements".

3.2 The following amendments will be incorporated in Note 2 of Column 7 of post of AGM (Law) in Part-VIII – Legal Cadre of Appendix-I of FCI (Staff) Regulations, 1971 –

"The experience as Lawyer is to be evidenced by Enrolment Certificate as an Advocate along with certified copies of Vakalatnama filed by the candidate or self attested copies of cause list or self attested copies of Court Orders / Judgments or self attested copies of case status obtained from the respective Court websites, as proof of appearing as an Advocate for his client in respect of atleast 3

cases in each year of the qualifying experience, which are verifiable from the concerned Court, reflecting the name of the candidate as in the application form".

SEEMA KAKAR, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./89/2020-21]

Note:-The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8.5.1971 and subsequently have been amended being lastly vide:-

SL. No	Title	Dated
1	FCI(Staff) (1^{st} Amendment) Regulations, 2019	07.05.2019
2	FCI(Staff) (2^{nd} Amendment) Regulations, 2019	03.09.2019
2	FCI(Staff) (3^{rd} Amendment) Regulations, 2019	06.01.2020

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.24 18:44:37 +05'30'